न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 704/2022

अनवान : –

1. साधुराम पुत्र घड़सीराम जाति बाजीगर निवासी दासुवाली हाल गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम्

1. अर्जनराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. पेमाराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. रामजीलाल पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. हरीराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खसरा न0 192 की 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 240 हिस्सा यानी 12 बीघा भूमि भंवरलाल पुत्र राजेराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर को बैय कर दी तथा भंवरलाल पुत्र राजेराम जाति बाजीगर निवासी थिरानी ने दिनांक 01.05.1972 को खसरा न0 192/1 की 12 बीघा भूमि वादी साधुराम पुत्र घड़सीराम जाति बाजीगर निवासी दासुवाली को बैय कर दी तथा वरवक्त बैयनामा वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा वादी का संभला दिया। वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रमाणित प्रतिलिपी बैयनामा संलग्न वाद है। वादग्रस्त भूमि का बैयनामा करवाया गया उस समय भू–प्रबन्धक विभाग (सैटलमेंट विभाग) की कार्यवाही चल रही थी तथा उस दौरान वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण दर्ज नही हुआ। वादग्रस्त भूमि पीथाराम पुत्र गणपत जाति मेघवाल साकिन थिराना के नाम दर्ज रही है। मौजा थिराना तहसील नोहर के साबिका खसरा न0 192 की 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि भूप्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 495 की 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि यानि 6.7780 हैक्ट भूमि में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है। प्रमाणित प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा थिराना संलग्न वाद है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पीथाराम पुत्र गणपतराम के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ता [illegible] के [illegible] विरासतन दर्ज हो चुकी है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सं0 158/[illegible] के ख0न0 478 की [illegible]30 हैक्ट भूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:11 IST
Reason: SelfAttested

ख0न0 495 की 6.7780 हैक्ट भूमि कुल 13.2910 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है एवं वादी की खसरा न0 495 की 12 बीघा भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। इसलिए रोही मौजा थिराना के खाता स0 158/139 के खसरा न0 495 की 6.7780 हैक्ट0 भूमि में से 3.0120 हैक्ट भूमि वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 4 ब.हि.ब खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषण करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय अर्जीदावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

साक्ष्य वादी में वादी साधुराम के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया किं उक्त वाद भूमि वादी की जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। अतः मुताबिक अर्जीदावा के अनुसार मय अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 158/139 के ख0न0 478 की 6.5130 हैक्ट भूमि ख0न0 495 की 6.7780 हैक्ट भूमि कुल 13.2910 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है एवं वादी की खसरा न0 495 की 12 बीघा भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। इसलिए रोही मौजा थिराना के खाता स0 158/139 के खसरा न0 495 की 6.7780 हैक्ट0 भूमि में से 3.0120 हैक्ट भूमि वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 ब.हि.ब खातेदार काश्तकार है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से पाया की उक्त वाद भूमि का पीथा पुत्र गणपत ने भंवरलाल को बैयनामा करवाया तथा भंवरलाल पुत्र राजेराम ने वादी को बैयनामा करवा दिया मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है कि साबिका खसरा नम्बर से ही वर्तमान खसरा नंबर बने है तथा प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने जवाब इकबाल पेश कर दावा की सभी मद को स्वीकार करते हुए पूर्णतया सहमति से वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के [illegible] अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना [illegible] नोहर के खाता स0 158/139 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खसरा न0 495 की 6.7780हैक्ट भूमि में से 3.0120 हैक्ट भूमि का वादी साधुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 3.766 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 704/2022

अनवान : —

1. साधुराम पुत्र घड़सीराम जाति बाजीगर निवासी दासुवाली हाल गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— वादी

बनाम्

1. अर्जनराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. पेमाराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. रामजीलाल पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. हरीराम पुत्र पीथाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 158/139 के खसरा न0 495 की 6.7780हैक्ट भूमि में से 3.0120 हैक्ट भूमि का वादी साधुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 3.766 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:11 IST
Reason: SelfAttested